



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092020-221561
CG-DL-E-04092020-221561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942

No. 440]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

सं. 85/2020 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 546(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 92/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 सितंबर, 2017 में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात पैराग्राफ 1 में, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“बशर्ते कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी का उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमाशुल्क स्टेशनों पर आयातित माल का उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68

के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के आदेश या निर्णय, जो कि उनको उक्त अधिनियम कि धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के उद्देश्य से कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सौंपे गए हो, के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा।”

[फा. स. 437/48/2014- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप-सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 92/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 सितंबर, 2017 सा.का.नि. 1210(अ), दिनांक 28 सितंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गयी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 63/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जुलाई, 2020, सा.का.नि. 482 (अ), दिनांक दिनांक 30 जुलाई, 2020 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2020

No. 85/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 92/2017-Customs (N.T.), dated the 28th September, 2017, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, for the provisos, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided that each of the officers as mentioned in column (2) of the Table, shall have jurisdiction in relation to an order or decision of the officers sub-ordinate to all other officers as mentioned in column (3) thereof, in respect of the bill of entry entered for home consumption under sub-section (1) of section 46 or for warehousing under section 68 of the said Act for goods imported at a customs station in the jurisdiction of the officers as mentioned in the corresponding entry in said column (3) of the said Table against their own which are assigned to them electronically in the Customs Automated System for the purposes of sub-section (5) of section 17 and section 18 of the said Act.”.

[F.No. 437/48/2014- Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note:—The principal Notification No. 92/2017-Customs(N.T.), dated the 28th September, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1210(E), dated the 28th September, 2017, and was last amended by Notification No. 63/2020-Customs(N.T.), dated the 30th of July 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 482(E) dated the 30th of July 2020.